



# HAMIRPUR POLICE



थाना कोतवाली नगर

दिनांक 22.08.2023



## Meticulous Investigation & Prosecution



HAMIRPUR POLICE

"प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 31,000/- रुपये के

अर्थदंड की सजा दिलायी गयी।"

#OperationConviction

के तहत पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन

में जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में की गई सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में

पंजीकृत मु0अ0सं0-228/2020, धारा-376AB, भा0द0सं0

,6 पाँक्सो एक्ट व 3(2)5,3(2)5ए,3(1)द/ध एससी/एसटी ए0

के अभियोग में आरोपी को सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाँक्सो एक्ट

जनपद हमीरपुर द्वारा अभियुक्त रामकरन केवट उर्फ बंटा पुत्र

कल्लू केवट नि0 डिग्गी थाना-कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर

को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 31,000 रुपये के अर्थ दण्ड से

दण्डित किया गया।

रुद्र प्रताप सिंह  
वि0लो0अभि0  
(पोक्सो कोर्ट)



विवेचक  
क्षेत्राधिकारी श्री  
अनुराग सिंह



पैरोकार  
का0  
बिजमान

